झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, रॉंची–8240004

सूचना

माननीय NGT, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 142/2022, में दिनांक 18.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा उनके पत्रांक CM-13011/94/2024-LAW–HO-CPCB-HO/1314 दिनांक 03/05/2024 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या F. No. IA3-22/11/2023-IA.III (E208230) दिनांक 07/05/2024 द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, को दिए गए निदेश के अनुपालन हेतु वैसे सभी खनन् परियोजनाँए जिन्हें संबंधित DEIAA द्वारा दिनांक 13/09/2018 के पश्चात् खनन् पटटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) प्रदान की गई है एवं उस पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) को आधार बनाकर पर्षद द्वारा वैसी सभी परियोजनाँए जिन्हें स्थापना सहमति (Consent to Establish - CTE) अथवा संचालन सहमति (Consent to Operate - CTO) या दोनों प्रदान की गई है, को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33(A) एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31(A) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एवं तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । ऐसी सभी परियोजनाओं को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी परियोजना का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करेंगें एवं इसका अनुपालन नहीं करने की स्थिति में पर्षद द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

12/5/24

(शशिकर सामंता)
अध्यक्ष

Rizvi-Official(noH)_2023/48

Scanned with ACE Scanner